

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर, दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 कर नियम 129)

Exp. 3/13/13

आदेश पत्रक

वाद संख्या 172

सन् 2013.13-14

श्री राजेन्द्र प्रसाद साहू बनाम श्री संजय कुमार श्रीवास्तव

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित															
	श्री राजेन्द्र प्रसाद साहू पेठ - साठ-लक्ष्मीसागर थाना- सदर जिला- दरभंगा	26/6/13															
	का वाद- पत्र वकालतनामा के साथ प्राप्त हुआ है।	5/7/13															
	वाद- पक्ष में वर्जित तथ्यों तथा दिस अधिवक्ता को सुनने से यह ज्ञात होता है कि निम्न वर्जित भूमि जो वादी के दरवल-कब्जा में है उस भूमि पर द्विपक्षीय वाजवस्ती कब्जा करना चाहिए। निम्नवर्जित भूमि वादी को	15/07/13															
		24/07/13															
		8.8.13															
		16.8.13															
		24/08/13															
		10.9.13															
		24-9-13.															
		7-10-13.															
		10/10/13															
		22-10-13.															
		11-11-13.															
		28.11.13															
		कार्यवाही समाप्त की गयी															
	<u>भूमि का विवरण</u>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना</th> <th>खता नं०</th> <th>खेसरा नं०</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>सदर</td> <td>150 (ख०)</td> <td>50 (ख०)</td> <td>6 कठ 6 धुल</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>374 (नया)</td> <td>1372 (नया)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	मौजा	थाना	खता नं०	खेसरा नं०	रकबा		सदर	150 (ख०)	50 (ख०)	6 कठ 6 धुल			374 (नया)	1372 (नया)		
मौजा	थाना	खता नं०	खेसरा नं०	रकबा													
	सदर	150 (ख०)	50 (ख०)	6 कठ 6 धुल													
		374 (नया)	1372 (नया)														
	उपरोक्त वर्जित तथ्यों के अलावा मे' वाद को प्रतिग्रहित किया जाता है। विपक्षी को सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 15/08/13 को रखें।																
	लेखापित्र																

शुभ सुठ सुठ-समाठ
सदर, दरभंगा

भूमि सुधार उप-समाहर्ता
सदर, दरभंगा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में प्रमाण, ता. सहित
15-6-13. 26/06/13	वाही / अनु प्रतिवादी / अनु वाही की हाजरी नहीं है। प्रतिवादी की हाजरी नहीं है। पुनः दिनांक 05/07/13	
05/07/13	वाही की हाजरी नहीं है। प्रतिवादी की हाजरी नहीं है। अभिलेख दिनांक 15/07/13 मूक सु 30/07/13	
15/07/13	वाही की हाजरी नहीं है। विपक्षी अनुपाश्चित है। अभिलेख 24/07/13 मूक सु 30/07/13	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
24.7.13 21.24	उपपक्ष अनु० वादी अनु० दिपक्षी की ओर से वकालतनामा के साथ हाजरी है तथा समभावेन है। पुनः दिनांक- 5.8.13 को 220	
5.8.13.	वादी - दिपक्षी का समभावेन है। पुनः दिनांक - 16.8.13	202.34.1170
16.8.13.	वादी - दिपक्षी को हाजरी है। पुनः दिनांक 24.8.13 को 24	202.34.1170
24.8.13.	वादी > अनु०। दिपक्षी पुनः दिनांक- 10.9.13 को 225।	202.34.1170
10.9.13	वादी दिपक्षी को हाजरी है। पुनः दिनांक 24.9.13 को 225।	202.34.1170

24-9-13. वादी - अनु० ।

विपक्षी की हाजरी है।

अपवाद लाशरी अन्य कार्य में व्यक्त ।

सूना रिनांक - 7.10.13 को रखें।

श. ५. 34. 1111

7.10.13 वादी. अनु० ।

विपक्षी की हाजरी है।

अपवाद लाशरी वेंटर में गये हैं।

सूना रिनांक - 10.10.13 को रखें।

श. ५. 34. 1111

10/10/13 वादी. अनु० ।

विपक्षी का 10.5 दारिदल किया गया है।

अपवाद लाशरी बैंक में गये हैं।

सूना रिनांक - 22.10.13 को रखें।

श. ५. 34. 1111

22.10.13. उभयपक्ष. अनु०.

अपवाद लाशरी जाय में गये हैं।

सूना रिनांक. 11.11.13 को रखें।

श. ५. 34. 1111

11.11.13 वादी. अनु० ।


विपक्षी की हाजरी है

कि वादी वाद प्रथम होने की विधि के बाद सभी विधि-पर अनुपस्थित चल रहे हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि वादी का इस वाद के संवादन में सक्रिय नहीं है। अगली विधि में अगल उपस्थित नहीं रहेंगे तो वाद की कार्टवर्ड समाप्त कर दिया जायेगा।

अगिलेख रिनांक - 28.11.13 को रखें।

श. ५. 34. 1111

श्री राजेन्द्र प्रसाद साहू बनाम श्री संजय कुमार श्रीवास्तव

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
28.11.13	<p>वादी - अग्रिम। विमर्शपत्र को हाथी है। अजितेश्वर के उद्घोषण से यह ज्ञात होना वादी द्वारा दावा किया गया वाद के खयालन में कमी को अजितेश्वर नहीं ली गयी है। इसके यह स्पष्ट प्रकृत होता है कि वादी को उस वाद के खयालन में अजितेश्वर नहीं है। फलतः इस वाद को कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।</p> <p>लेखापत्र। 28/11/13 र. प्र. 34. 1011</p> <p style="text-align: right;">  28/11/13 श्री प्रसाद 34-1011 (र. प्र. 34. 1011) </p>	